<u>न्यायालय: – श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैतूल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 636 / 12</u> <u>संस्थापन दिनांक :- 03 / 12 / 12</u> फाईलिंग नं. 233504000822012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्व

शेख रसीद पिता शेख नूर, उम्र 32 वर्ष निवासी इंद्रा कॉलोनी आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 12.03.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा—25 (1—बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 02. 12.2012 को समय शाम करीब 06:10 बस स्टेंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का छुरा जिसकी कुल लंबाई 10 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।
- 2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 02.12. 2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टेंड आमला में अभियुक्त अपने हाथ में एक लोहे की धारदार छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा। अभियुक्त ने छुरी रखने बाबत कोई लायसेंस नहीं बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 355/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.12.2012 को समय शाम करीब 06:10 बस स्टेंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का छुरा जिसकी कुल लंबाई 10 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 5 आर.के. दुबे (अ.सा.—2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 02.12. 2012 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के बस स्टेंड आमला पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरा लिए लोगों को डराते धमकाते मिला जिस पर उसने मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़कर अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे का छुरा जप्त कर (प्रदर्श प्री—1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 355/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल—ए1 को वही छुरा होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।
- 6 साक्षी जाकिर खान (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 02.12.2012 को थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को थाना प्रभारी आर.के. दुबे के साथ बस स्टेंड आमला गया था जहां मौके पर अभियुक्त लोहे का छुरा लेकर लोगों को डरा धमका रहा था। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा गया था और उसके कब्जे से लोहे का छुरा जप्त किया गया था।
- 7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी विजय एवं मुकेश के अदम पता हो जाने के कारण उक्त साक्षीगण की साक्ष्य न्यायालय में अंकित नहीं की जा सकी है। अभिलेख पर जाकिर खान (अ.सा.—1) एवं आर.के दुबे (अ.सा.—2) की साक्ष्य उपलब्ध

- है। न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783 के अनुसार पंच साक्षीगण की साक्ष्य के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।
- 8 आर.के. दुबे (अ.सा.—2) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर बस स्टेंड जाना, अभियुक्त से लोहे का छुरा जप्त करना एवं थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। जािकर खान (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में थाना प्रभारी के साथ सूचना मिलने पर उनके साथ हमराह जाना बताया है और मौके पर घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़कर थाना प्रभारी के द्वारा अभियुक्त से छुरी जप्त किया जाना बताया है।
- 9 प्रतिपरीक्षण में साक्षी आर.के. दुबे (अ.सा.—2) ने यह बताया है कि जप्ती पत्रक में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि जप्तशुदा आयुध की नाप किससे की गयी थी और प्रकरण में रोजनामचा सान्हा भी संलग्न नहीं किया गया है। जाकिर खान (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना बस स्टेंड प्रतिक्षालय के सामने की है। अभियुक्त को पकड़कर थाना ले आये थे उसके बाद क्या कार्यवाही की गयी उसकी जानकारी उसे नहीं है। जप्तशुदा छुरी की लंबाई वह नहीं बता सकता क्योंकि जप्ती की कार्यवाही टीआई साहब के द्वारा की गयी थी।
- 10 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी—2) में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा भी संलग्न नहीं किया गया है। अभियुक्त से जप्त आयुध की नापजोप किससे की गयी इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण विवेचक साक्षी आरके दुबे के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिससे निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कथित आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था एवं अधिसूचना में निर्धारित मापदंड का था।
- उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 02.12.2012 को समय शाम करीब 06:10 बस स्टेंड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का छुरा जिसकी कुल लंबाई 10 इंच, चौड़ाई 1 इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.

74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त शेख रसीद को धारा 25(1—बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 12 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे का छुरा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।
- 13 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)